आदर्श आचार संहिता

विधान सभा आम चुनाव, 2018

निर्वाचन विभाग, राजस्थान

www.rajteachers.com

आदर्श आचार संहिता

आदर्श आचार संहिता क्या है?

- आदर्श आचार संहिता राजनीतिक दलों तथा उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए नियमों का एक ऐसा सैट है जो राजनीतिक दलों की सहमति से विकसित किया गया है जिन्होंने इस संहिता में वर्णित सिद्धान्तों की पालना करने की सहमति दे दी है तथा उन्हें संहिता की मूल भावना को समझने एवं सम्मान करने हेतु बाध्य करती है।

आदर्श आचार संहिता के मुख्य लक्षण

- आदर्श आचार संहिता निर्धारित करती है कि चुनाव प्रक्रिया के दौरान राजनीतिक दल निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी तथा सत्ताधारी दल स्वयं का संचालन कैसे करेंगे तथा चुनाव प्रचार, सभा एवं जुलूस आदि करने, मतदान दिवस के दिन को गतिविधियां एवं पार्टी के कृत्य आदि में किस प्रकार से कार्य करेंगे।

आदर्श आचार संहिता में निर्वाचन आयोग की भूमिका

- भारतीय संविधान की धारा 324 के तहत गठित निर्वाचन आयोग संसद तथा राज्य विधान सभाओं के स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांति पूर्ण चुनाव संचालन के लिए केन्द्र तथा राज्य में चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों (मय सत्ताधारी दल) से अपनी ड्यूटी/कर्तव्य पालन में इसकी पालना सुनिश्चित करता है। यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि चुनावी उद्देश्यों के लिए सरकारी मशीनरी का दुरूपयोग नहीं हो। सभी उपाय कर निर्वाचन अपराध, भृष्ट आचरण जैसे–प्रतिरूपण, रिश्वत, मतदाताओं को लालच देना, उन्हें धमकी देना, डर भय दिखाना आदि को रोका जाता है। उल्लंघन की स्थिति में समुचित कदम उठाये जाते हैं।

आम चुनावों तथा उप चुनावों में संहिता का क्षेत्र विस्तार

- लोक सभा चुनावों में संहिता सम्पर्णू देश में तथा राज्य विधान सभा चुनाव में सम्पर्णू राज्य में तथा उप चुनावों में सम्पूर्ण जिले या संबंधित निर्वाचित क्षेत्र में लागू होती है।

आदर्श आचार संहिता के विभिन्न पहलू

1. आदर्श आचारसंहिता के उद्देश्य
2. लागू किये जाने वाले विस्तृत क्षेत्र
3. अधिकारी/कार्मिकों के लिए आदर्श आचार संहिता
4. कार्मिकों के स्थानांतरण पर प्रतिबंध
5. मंत्रीगण/अध्यक्ष/आयोग सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता
6. राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता
7. राजकीय वाहनों के उपयोग के लिए आदर्श आचार संहिता
8. केन्द्रीय/राज्य सरकारों के लिए आदर्श आचार संहिता

एम.सी.सी. के उद्देश्य/एम.सी.सी. क्यों?

- भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में निर्चाचन कार्यक्रम घोषित होते ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है।
- एम.सी.सी. साफ–सुथरे/स्वच्छ ढंग से निर्वाचन संचालन के लिए स्वस्थ एवं शांतिपूर्ण वातावरण को विकसित करती है।
- सभी पार्टियों के लिए समान कार्यक्षेत्र प्रदान करती है।
- एस.सी.सी. का दृष्टिगत एवं कठोर क्रियान्वयन निवार्च न की विश्वसनीयता में वृद्धि करता है तथा मतदाताओं को आत्मविश्वास प्रदान करता है।
- राजकीय मशीनरी का चुनावी कार्यों में दुरूपयोग को रोकना सुनिश्चित करती है।
- निवार्च न अपराधों एवं भ्रष्ट आचरण–प्रतिरूपण, रिश्वतखोरी, मतदाताओं के प्रलोभन, धमकाना/डराना आदि की रोक सुनिश्चित करती है।

लागू किये जाने वाले विस्तृत क्षेत्र

1 कल्याणकारी योजनाओं तथा राजकीय कार्यों की क्रियान्विति।

2 कल्याणकारी योजनाओं तथा राजकीय कार्यों का प्रचार–प्रसार / अभियान चलाना।

3 राजकीय कार्मिकों की नियुक्ति/ स्थानान्तरण/पदस्थापन

4 विश्राम गृहों/डाक बंगलों एवं अन्य राजकीय आवासों के उपयोग के संबंध में।

5 मंत्रियों/राजनीतिक नेताओं की यात्राओं से संबंधित प्रावधान।

6. राजकीय एयर क्राफ्ट/वाहनों का उपयोग।

7 लाउड स्पीकर का उपयोग।

8 पेम्पलेट्स, पोस्टर, लेखन, अन्य मीडिया कार्यवाहियों आदि में।

अधिकारी / कार्मिक वर्ग के लिए आदर्श आचार संहिता

- कोई कार्मिक जो मंत्री की निजी यात्रा पर निर्वाचन क्षेत्र में उनसे मिलता है तो वह दुराचार का दोषी होगा तथा आर.पी. एक्ट 1951 की धारा 129(1) के तहत भी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया माना जायेगा तथा दण्डनीय कार्यवाही के लिए उत्तरदायी होगा।
- निर्वाचन कार्यक्रम घोषित होने के बाद केन्द्रीय / राज्य सरकारों के मंत्रीगण एवं अन्य राजनीतिक नेताओं के बीच कोई वीडियो कांफ्रेंसिग भी नहीं होगी।

- **ECI Compendium Vol.3 Dt. 30.12.2004**

–लगातार–

- उन अधिकारियों के ट्यूर/अवकाश पर रोक रहेगी जिनकी पत्नियां राजनीति में सक्रिय है, उस अधिकारी को निवाचर्न पूर्ण होने तक मुख्यालय नहीं छोड़ना चाहिए।

ECI- letter No. 437/06/98 dt. 23-01-1998

आदर्श आचार संहिता में स्थानांतरण पर प्रतिबंध

- निर्वाचन संचालन से जुड़े हुए सभी अधिकारियों/कार्मिकों के स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध होगा।

–लगातार–

- जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, सहा. रिट. अधि. एवं अन्य राजस्व अधिकारीगण निर्वाचन संचालन से जुड़े हुए हैं।
- चुनाव प्रबंधन से पुलिस विभाग के अधिकारी भी जुड़े हुए हैं जैसे– आई.जी./ डी.आई.जी. / एस.पी. / ए.एस.पी. / डी.एस.पी. एवं उपखंड स्तरीय पुलिस अधिकारीगण।
- उक्त सभी आर.पी.एक्ट–1951 की धारा 28 ए के तहत भारत निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्ति पर समझे जायेंगे।

- निर्वाचन कार्य से संबंधित दूसरे वरिष्ठ अधिकारी (जैसे– सेक्टर तथा जोनल मजिस्ट्रेट, परिवहन सैल, निर्वाचन सामग्री क्रय एवं वितरण स्कैल , प्रशिक्षण सैल, लेखा सैल आदि) जिनकी चुनाव प्रबंधन में भूमिका होती है, पर भी उक्त प्रावधान लागू होंगे।
- यदि उक्त वर्णित अधिकारीगण का चुनाव घोषणा तिथि से पूर्व स्थानांतरण हो गया हो, परन्तु आचार संहिता प्रभावी होने से पूर्व कार्यग्रहण नहीं किया हो तो आयोग की अनुमति के बिना उक्त आदेश को प्रभावी नहीं किया जायेगा।

www.rajteachers.com

- उपरोक्त मामलों में जहां किसी अधिकारी का स्थानांतरण प्रशासनिक मांग/स्थिति के कारण आवश्यक हो, वहां राज्य सरकार पूर्ण औचित्य के साथ आयोग से पूर्व क्लीयरेन्स/अनुमोदन लेने की कार्यवाही करेगी।

- आयोग की पूर्व अनुमति के बिना राज्य सरकार/लोक उपक्रमों में नई नियुक्तियां या पदोन्नतियां नहीं की जायेंगी।

स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संचालन हेतु अधिकारीगण के स्थानांतरण /पदस्थापन वाबत विभिन्न निर्देश –

- अधिकारी जिसे स्वयं के जिले या अन्य जिले में 3 वर्ष पूर्ण हो गये हों, वहां लगातार नहीं रखा जाना चाहिए।

(ECI order dated21-05-2018)

- अधिकारी/कामिर्क जिनके विरूद्व आयोग ने किसी चुनाव/गत चुनाव में चुनाव संबंधी ड्यूटी में खामी बरतने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की सिफारिश की हो।
- यदि किसी अधिकारी/कामिर्क के विरूद्व किसी न्यायालय में चुनाव कार्य/ड्यूटी से संबंद्व कोई आपराधिक मामला पेंडिंग हो।

- मतदाता सूचियों के अंतिम प्रकाशन के बाद जो अधिकारी/कार्मिक मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य में लगा हुआ हो, का स्थानांतरण किया जायेगा।
- इन निर्देशों के तहत जारी किये गये स्थानांतरण आदेशों की प्रति राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को आवश्यक रूप से दी जायेगी।
- जो अधिकारी आगामी छः माह में सेवानिवृत होने वाला है, वह आयोग के उक्त निर्देश की परिधि में नहीं आयेगा।
- राज्य/के. शा. प्रदेश के सभी अधिकारीगण जिनकी सेवा अवधि बढ़ाई गई या विभिन्न क्षमताओं में पुनः रोजगार में आये हैं, उन्हें मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से भिन्न निर्वाचन संबंधी कार्य में नहीं लगाया जायेगा। (निर्वाचन आयोग पंत्र सं. 437/6/2006–PLN III dt-06-11-2006)

मंत्रीगण/अध्यक्ष/आयोग सदस्यों के लिए आदर्श आचार संहिता

- निर्वाचन आयोग द्वारा जारी चुनाव घोषणा से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक कोई केन्द्रीय/राज्य सरकार के मंत्री किसी निर्वाचन क्षेत्र राजकीय यात्रा नहीं करेंगे।
- उपरोक्त वर्णित अवधि में कोई मंत्री चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी (चाहे निर्वाचन क्षेत्र का हो या राज्य का हो) को कार्यालय या गेस्ट हाऊस में किसी कार्यालयी कार्य के विचार विमर्श हेतु नहीं बुलायेंगे।

(निर्वा. आयोग पत्र सं. 437/6/96/ PLN III dt-17-01-1996)

अपवाद–

- कानून व्यवस्था भंग होने या प्राकृतिक आपदा घटित होने पर जहां पर्यवेक्षण/समीक्षा/सहायता की आवश्यकता है वहां विभाग के मंत्री की हैसियत से या मुख्यमंत्री निर्वाचन क्षेत्र की राजकीय यात्रा कर सकते हैं तथा वहां पर निवाचर्न से जुड़े हुए अधिकारी को बुला सकते हैं।

(निर्वा. आयोग पत्र सं. 437/6/2007– PLN III dt-23-11-2007)

–लगातार–

- कानून व्यवस्था कायम करने संबंधी मामले को छोड़कर मंत्री की चुनाव संबंधी मीटिंग्स् व अन्य सारी व्यवस्थाओं संबंधी खर्चा राज्य सरकार द्वारा नहीं, बल्कि उनके स्वयं के स्तर पर किया जायेगा।
- मंत्री द्वारा नामांकन पत्र दाखिल करने जाना तथा उसके बाद की यात्राएं चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी हुए मानी जायेगी। खर्चा स्वयं के स्तर पर किया जायेगा।

(निर्वा. आयोग परिपत्र पत्र सं. 10/17/89 दिनांक 01.11.989)

–लगातार–

- आम चुनाव/उपचुनाव के दौरान भारत में मंत्रियों की राजनीतिक या व्यक्तिगत यात्रा को राजकीय यात्रा के साथ किसी भी परिस्थिति में नहीं जोड़ी जा सकती है।
- मंत्री जो राजकीय कार्य से यात्रा करते हैं उन्हें उस जिले/निर्वाचन क्षेत्र में रूकना नहीं चाहिए, जहां आचार संहिता लागू है, न ही राजनीतिक कार्य में उपस्थित होना चाहिए।

(निर्वाचन आयोग पत्र 437/6/2004/PLN III dt. 28-12-2000)

(निर्वाचन आयोग पत्र 437/6/2004/PLN III dt. 23-11-2007)

–लगातार–

- चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी केन्द्रीय मंत्री/राज्यमंत्री/राज्य के अन्य राजनीतिक पदाधिकारी/भ.पू . सांसद को गणतंत्र दिवस समारोह पर उस स्थान पर सम्मान नहीं दिया जायेगा, जहां से वह चुनाव लड़ रहा/रही है या चुनाव लड़ने का इरादा रखता/रखती है।
- केन्द्रीय/राज्य मंत्री सद्भावना दिवस समारोह में भाग ले सकते हैं परन्तु उनका भाषण भाईचारा/सद्भावना को प्रोन्नत करने तक सीमित रहना चाहिए।

(निर्वाचन आयोग पत्र सं. 437/6/99.PLN-III/dt16-8-1999)

- चुनाव यात्रा के दौरान मंत्री द्वारा कोई भी पायलट कार/बत्ती लगी कार/अन्य सायरन लगी कार जिसकी आसानी से पहचान हो सके, उपयोग में नहीं ली जा सकेगी।

(निर्वा. आयोग पत्र सं. 437/6/2007-PLN III dt 23-11-2007)

- राजकीय वाहनों का चुनाव संबंधी यात्राओं / अभियानों चुनावी कार्यों का उपयोग के लिए पूर्णतया प्रतिबंध है।
- केन्द्रीय/राज्य सरकार के मंत्री अपने स्वयं के निजी वाहनों का चुनावी अभियान में उपयोग में लेने हेतु मुक्त हैं।
- इस प्रकार की निजी यात्राओं में मंत्रियों के राजकीय निजी स्टाफ को साथ रहने की अनुमति नहीं है।

www.rajteachers.com

- किसी आपातकालीन स्थिति में केन्द्री य/राज्य मंत्री मुख्यालय से बाहर राजकीय यात्रा पर जा रहे है, जो सार्व. हित के लिए टाली नहीं जा सकती है वहां विभागीय सचिव द्वारा उक्त परिस्थिति को प्रमाणित करते ह्यु (जहां मंत्री जा रहे है) एक पत्र मुख्य सचिव को लिखा जायेगा, एक प्रति आयोग को भेजी जायेगी।
- ऐसी आपात स्थिति में मुख्य सचिव, मंत्री को राजकीय वाहन ठहरने की सुविधा एवं अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं उनकी राजकीय यात्रा हेतु मुहैया करा सकते हैं।
- फिर भी मंत्री उक्त यात्रा से पूर्व, दौरान या उसके साथ में राजनीतिक कार्यकलाप या चुनाव अभियान नहीं कर सकते।

- चुनाव घोषणा के साथ ही प्रारम्भ हुई आचार संहिता के दौरान कोई भी मंत्री (संघ/राज्य) निर्वाचन क्षेत्र या राज्य के किसी अधिकारी को राजकीय कार्य विचार विमर्श हेतु नहीं बुलायेंगे।
- अपवाद – परन्तु कानून व्यवस्था भंग होने या प्राकृतिक आपदा या इसी प्रकार की अन्य आपात स्थिति होने पर मंत्री विभागीय इन्जार्च की हैसियत से या मुख्यमंत्री निर्वाचन क्षेत्र की राजकीय यात्रा कर सकते हैं।
- मंत्री अपने राजकीय आवास से कार्यालय तक नित्य, राजकार्य हेतु राजकीय वाहन काम में लेने हेतु अधिकृत है, परन्तु यह नित्य आना जाना किसी चुनावी कार्य/राजनीतिक गतिविधि से नहीं जोड़ा जा सकता है।

- राज्य सरकार के खर्चे पर होने वाले धार्मिक कार्यक्रम के अवसर पर (जैसे–इफ्तार पार्टी का आयोजन) मंत्री को अतिथि के तौर पर आमंत्रित करना प्रतिबंधित है।

(निर्वाचन आयोग पत्र सं. 437/6/BR/98-PLN III/dt. 27-01-1998)

- गणतंत्र दिवस समारोह के साथ अन्य कार्यक्रम–कवि सम्मेलन, मुशायरा व सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन पर तथा इनमें संघ/राज्य के मंत्री/अन्य राजनीतिक नेताओं के उपस्थित होने पर प्रतिबन्ध नहीं है, फिर भी ऐसे अवसर पर यह सुनिश्चित करने की पूर्ण सावधानी बरती जाये कि कोई राजनीतिक भाषणबाजी न हो।

(निर्वाचन आयोग पत्र सं. 437/6/98.PLN III/dt. 10-01-1998)

–लगातार–

- केन्द्रीय/राज्य के सभी मंत्रीगण/राजनैतिक दलों के सभी नेताओं को राजकीय /अन्य प्रोफेशनल एजेन्सीज द्वारा अनुमोदित धमकी की धारणाओं के मध्य नजर सुरक्षा व्यवस्था की अनुमति होगी। बुलेट प्रुफ कार तथा अन्य कार जो उक्त के द्वारा काम में ली जायेगी, का खर्चा संबंधित के द्वारा वहन किया जायेगा फिर भी सुरक्षा कार्मिकों/स्टाफ का खर्चा संबंधित राज्य/के.शा.प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

(निर्वाचन आयोग पत्र सं. 437/6/GUJ./98-PLN III/dt. 16-01-1998)

- मंत्री/अन्य ऑथोरिटी चुनाव के तुरन्त पहले दिन स्वविवेक फण्ड से कोई अनुदान/भुगतान स्वीकृत नहीं कर सकते हैं।

(निर्वाचन आयोग पत्र सं. 576/17/84 dt. 09-11-1984)

- केन्द्र /राज्य सरकारों द्वारा स्थापित अ.जा./अ.ज.जा./सभी आयोगों के सदस्यों को एम.सी.सी. के दौरान राजकीय यात्रा को टालना चाहिए जब तक कि कोई आपातकाल/अपरिहार्य स्थिति उत्पन्न न हो।
- इस प्रकार की यात्रा में अध्यक्ष/सदस्यों को मंत्रीगण/राजनीतिज्ञों से नहीं मिलना चाहिए तथा सार्वजनिक सुनवाई/जनता से मिलने का कार्यक्रम नहीं रखना चाहिए।

www.rajteachers.com

. Whether Ministers or any other political functionaries can use pilot car with beacon lights affixed with siren?

Ans. Minister or any other political functionary is not allowed during election period, to use pilot car or car with beacon lights of any colour or car affixed with sirens of any kind whether on private or official visit, even if the State administration has granted him a security cover requiring presence of armed guards to accompany him on such visit. This prohibition is applicable whether the vehicle is government owned or private owned.

www.rajteachers.com

'. Whether there is any restriction or visits of members of National Commission for Schedule Castes or any other similar National/State Commissions?

Ans. It is advised that all official visits of Members of such Commissions shall be deferred, unless any such visit becomes unavoidable in an emergent situation, till the completion of election exercise to avoid any misunderstanding that may arise in any quarters.

www.rajteachers.com

राजकीय दलों तथा उम्मीदवारों के लिए आदर्श आचार संहिता

- कोई भी पार्टी/उम्मीदवार ऐसी गतिविधियों में शामिल नहीं होगा जो विभिन्न जातियों व समुदायों के बीच धार्मिक, भाषायी आधार पर आपसी घृणा या द्वेषता का कारण बने या जिससे भेद/अंतर को बढ़ावा मिले।

- अन्य राजनीतिक दलों की आलोचना करते समय उनकी नीतियों तथा कार्यक्रम, भूतकाल का रिकॉर्ड एवं कार्य तक सीमित रहना होगा। पार्टीज तथा उम्मीदवार अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं/नेताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से भिन्न उनके निजी जीवन के पहलुओं की आलोचना नहीं करेगें। साथ ही उनकी आलोचना अप्रमाणित आरोपों या तोड़–मरोड़े तथ्यों पर आधारित नहीं होनी चाहिए।

- वोट प्राप्त करने हेतु जातीय या साम्प्रदायिक भावनाओं के आधार अपील नहीं होगी। चुनाव प्रचार हेतु मस्जिद, चर्च, मन्दिर या पूजा के अन्य स्थानों को मंच के रूप में काम में नहीं लिये जायेगें।

- सभी पार्टियों तथा उम्मीदवारों को पूर्ण सावधानीपूर्वक ऐसी गतिविधियों से अलग रखना होगा जो भ्रष्ट आचरण की हों या निर्वाचन कानून में अपराध हों –जैसे मतदाताओं को रिश्वत देना, उन्हें धमकी देना, मतदाताओं का प्रतिरूपण, पोलिंग बूथ के 100 मीटर के दायरे में मत संयाचना करना, मतदान तिथि के 48 घंटे पूर्व की अवधि में सार्व. सभा करना, पोलिंग बूथ तक मतदाताओं को लाने–ले जाने के लिए परिवहन व्यवस्था करना आदि।
- प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित सुखद गृह जीवन के अधिकार का सम्मान करना होगा। फिर भी राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों की उनके राजनीतिक मतों/कार्यवाहियों के लिए आलोचना की जा सकती है परन्तु उनके विचारों/कायर्वा हियों के विरूद्ध उनके निजी आवास के सामने खड़े होकर प्रदर्शन/धरना एवं हड़ताल आदि के माध्यम से विरोध प्रदर्शित करना किसी भी परिस्थिति में नहीं अपनाया जायेगा।

www.rajteachers.com

- किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार को या उसके कार्यकर्ताओं को किसी व्यक्ति की भूमि, भवन चार दिवारी आदि पर उसकी अनुमति के बिना उक्त सम्पति को झण्डे लगाने तथा बैनर लटकाने, नोटिस चस्पा करने तथा नारा लेखन आदि के लिए अनुमत नहीं किया जायेगा।

- राजनीतिक दल तथा उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि उनके समर्थक अन्य पार्टीज द्वारा आयोजित सभाओं/जुलुसों में बाधा उत्पन्न न करें, न भड़काएं। एक पार्टी के कार्यकर्ता/सहानुभूति रखने वाले व्यक्ति अन्य पार्टी की सार्व. सभाओं में मौखिक लिखित प्रश्न करके, अपनी पार्टी की पट्टिकाएं/प्रिंटेड सामग्री वितरण करके बाधा उत्पन्न नहीं करेंगे। एक पार्टी उस स्थान से जुलुस नहीं निकालेगी जहां दूसरी पार्टी ने मीटिंग रखी हो, एक पार्टी द्वारा लगाये गये पोस्टर्स को दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा हटाया नहीं जायेगा।

- चुनावी अभियान/चुनाव संबंधी कार्य के लिए किसी वी.आई.पी. (मय प्रधानमंत्री) की विजिट के दौरान सुरक्षा व्यवस्था जैसे– बैरीकेडिंग/मंच/प्लेटफॉर्म इत्यादि पर हुए खर्चे का वहन संबंधित राजनीतिक दलों द्वारा किया जायेगा।

(निर्वाचन आयोग पत्र सं. 437/6/ES0025/94/MCS dt. 27-10-1994)

- किसी भी राजनीतिक दल के सभी विज्ञापन जो टी.वी. चैनल्स एवं केबल नेटवर्क पर प्रसारित किये जाते हैं, की समीक्षा, संवीक्षा एवं प्रमाणीकरण एमसीएमसी द्वारा आवश्यक रूप से किया जायेगा।

- विज्ञापन के प्रसारण पर मिली शिकायत की सुनवाई हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर पर समिति बनाना आवश्यक है।

(निर्वाचन आयोग पत्र सं. 509/75/2004/JS-1dt. 15-04-2004)

- स्टार प्रचारक के अभियान का सावधानी पूर्वक रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।
- मु. निर्वा. अधि. तथा जि.निर्वा.अधि. को राजनीतिक दलों के प्रचारकों द्वारा आचार संहिता उल्लंघन का रिकॉर्ड रखने हेतु पार्टी वाईज रजिस्टर बनाना चाहिए।
- रिकॉर्ड को सार्वजनिक किया जाना चाहिए ताकि हितबद्व पार्टी उसे देख सके।

(निर्वाचन आयोग पत्र सं. 437 / 6 / Inst./2008)

- सभी राजनीतिक दलों को चुनाव अभियान के दौरान पोस्टर, बैनर तैयारी के लिए प्लास्टिक / पोलिथीन के उपयोग से बचने का प्रयास करना चाहिए।

(निर्वाचन आयोग पत्र सं. 04 / 03 / 2004/dt. 11-03-2004)

–लगातार–

- राजनीतिक दलों के सदस्यों द्वारा राजकीय विश्राम गृह के परिसर के अंदर आकस्मिक मीटिंग भी करने की अनुमति नहीं है।
- किसी भी व्यक्ति को (जो गेस्ट हाऊस में ठहरा है) केवल उसका वाहन तथा अधिकतम दो वाहन ही गेस्ट हाऊस परिसर के अंदर अनुमत होंगे।
- किसी भी व्यक्ति को कमरे 48 घंटों से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाना चाहिए।
- फिर भी किसी क्षेत्र विशेष मतदान होने या पुनः मतदान की 48 घंटे पहले की अवधि में कमरे आवंटित नहीं किये जायेंगे।

(निर्वाचन आयोग पत्र सं. 437/6/38/2004/PLN III/dt. 06-04-2004)

–लगातार–

- राजकीय गेस्ट हाऊस में सुविधा उन वी.आई.पी. को दी जा सकती है, जिनको राज्य सरकार द्वारा ''जैड प्लस'' सुरक्षा दी गई है बशर्ते कि ऐसा कमरा/आवास चुनाव से संबंधित अधिकारी/ऑब्जर्वर को आवंटित नहीं किया गया हो।
- राजकीय विश्राम गृहों में कोई राजनीतिक कार्यवाहियां करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(निर्वाचन आयोग पत्र सं. 437/6/2006)

–लगातार–

- राजकीय आवासों का उपयोग निष्पक्ष ढंग से किया जायेगा। सत्ताधारीदल या उसके उम्मीदवार द्वारा एकाधिकार नहीं किया जायेगा।
- कोई भी पार्टी या उम्मीदवार राजकीय आवास का उपयोग चुनाव अभियान कायालर्य के रूप में नहीं करेगा, चुनाव प्रचार के उद्देश्य हेतु सार्व. सभा/मीटिंग आदि करने की अनुमति भी नहीं दी जायेगी।
- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कोई भी नेता/दल सर्किट हाऊस, डाक बंगले को चुनाव अभियान कार्यालय स्थापित करने के साथ काम में नहीं ले।

राजनीतिक दलों/उम्मीदवारों के लिए 'डू'ज एण्ड 'डोन्ट'स्'

- आयोग द्वारा 'डू'ज' एण्ड 'डोन्ट'स' की सूची बनाई गई है जिसका उम्मीदवारों तथा राजनीतिक दलों का चुनाव घोषणा के बाद से चुनाव प्रक्रिया के पूर्ण होने तक पालन किया जायेगा।
- उक्त सूची उदाहरणात्मक है, विस्तृत नहीं है, न ही विषयों पर जारी होने वाले निर्देशों/आदेशों का विकल्प है, जिनका कठोरता से पालन किया जाना आवश्यक है।

डू'ज (Do's)

- आदर्श आचार संहिता के दौरान किये जा सकने वाले कार्य निम्न हैं:–
- चालू कार्यक्रम जो चुनाव घोषणा से पूर्व फील्ड में वास्तव में शुरू हो चुके है, चालू रह सकते हैं।
- बाढ़, सूखा, महामारी एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्र के लोगों की सहायता एवं पुनर्वास से संबंधित कार्य प्रारम्भ किये जा सकते हैं/चालू रह सकते हैं।
- गम्भीर बीमार व्यक्तियों / मरणासन्न व्यक्तियों को कैश या चिकित्सीय सुविधा का अनुदान उचित अनुमोदन के साथ निरन्तर जारी रह सकता है।

डू'ज (Do's)

- चुनावी सभाऐं करने के लिए सभी पार्टियों/निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों को सार्व. स्थान/मैदान/निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराना चाहिए। इसी प्रकार हेलीपेड उपयोग का अवसर भी सभी दलों/उम्मीदवारों को निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराना चाहिए।
- अन्य राज. दलों और अभ्यर्थियों की आलोचना उनकी नीतियों कार्यक्रम, पूर्व रिकॉर्ड एवं कार्य से संबंधित होनी चाहिए।
- प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण एवं सुव्यवस्थित गृह जीवन की पूर्णतया रक्षा की जानी चाहिए।
- प्रस्तावित मीटिंग्स् के समय एवं स्थल की स्थानीय पुलिस को पूर्ण सूचना देनी चाहिए।

डू’ज (Do’s)

- यदि किसी स्थान पर मीटिंग के लिए प्रतिषेध/रोक के आदेश हैं तो उसका आदर करना चाहिए। यदि छूट दी जा सकती है तो उसे समय में आवेदन कर प्राप्त करनी चाहिए।
- प्रस्तावित मीटिंग के लिए लाउडस्पीकर इसी प्रकार की अन्य सुविधा के लिए पुलिस/सक्षम ऑथोरिटी से अनुमति प्राप्त करनी चाहिए।
- मीटिंग में व्यवस्था बिगाड़ने वाले या इसी तरह से अव्यवस्था उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों से निपटने हेतु पुलिस सहायता प्राप्त करनी चाहिए।

डू'ज (Do's)

- जुलुस के प्रारम्भ होने का समय व स्थान तथा रूट का अनुसरण किया जाना चाहिए तथा जहां जुलुस समाप्त होगा, उस समय, स्थान आदि की पुलिस/सक्षम ऑथोरिटी से अग्रिम रूप से तय कर अनुमति ली जानी चाहिए।
- किसी मोहल्ले में जहां प्रतिषेधात्मक आदेश लागू है तथा जहां से जुलुस जाना है, वहां पर यातायात नियमों तथा दूसरे प्रतिबंधों का पालन करते हुए जुलुस निकाला जाये।
- जुलुस का मार्ग यातायात को अवरूद्व करने वाला नहीं होना चाहिए।
- समस्त निर्वाचन अधिकारियों का शांतिपूर्ण एवं व्यवस्थित मतदान के लिए पूरे समय सहयोग किया जाना चाहिए।
- समस्त कार्यकर्त्ताओं को पहचान पत्र एवं बैज रखने चाहिए।

डू'ज (Do's)

- आधिकारिक पहचान स्लिप जो मतदाताओं को दी जाती है, सामान्य सफेद पेपर पर होगी, उनमें पार्टी का या उम्मीदवार का नाम, कोई प्रतीक चिन्ह् आदि का विवरण अंकित नहीं होगा।
- अभियान अवधि तथा मतदान दिवस को उम्मीदवारों/राज.दलों आदि के द्वारा वाहन संचालन पर रोक की पूर्ण पालना की जानी चाहिए।
- मतदाताओं के अलावा उम्मीदवार, उनके चुनाव/बूथ एजेण्ट तथा निर्वाचन आयोग से अधिकृत व्यक्ति ही किसी पोलिंग बूथ में प्रवेश कर सकते है। उक्त के अति. चाहे कितना भी बड़ा हो। जैसे मुख्यमंत्री, सांसद या विधायक, किसी को भी इस शर्त से छूट नहीं है।

डू'ज (Do's)

- निर्वाचन संचालन से संबंधित कोई भी शिकायत/समस्या को निवार्च न आयोग द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षक/आर.ओ./जोनल / सेक्टर मजिस्ट्रेट की जानकारी में लानी चाहिए।
- चुनाव से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों /आदेशों/परिपत्रों की जिला निर्वा. अधि./ आर.ओ. द्वारा पालना की जायेगी।
- यदि आप उस निर्वाचन क्षेत्र के मतदाता या उनके एजेन्ट नहीं हो तो अभियान अवधि के समाप्ति के बाद निर्वाचन क्षेत्र को छोड़ दें।

4. Is there any restriction on issue of advertisement at the cost of public exchequer regarding achievements with a view to furthering the prospects of the party in power?

Ans. Yes

The advertisement regarding achievements of the party at the cost of public exchequer in the print and electronic media and the misuse of official mass media during the period of election is prohibited.

www.rajteachers.com

25. **Whether hoardings/advertisements etc. depicting the achievements of the party(s) in power at Centre/State Governments at the cost of public exchequer can be continued?**

Ans. No

All such hoardings, advertisements etc. on display shall be removed forthwith by the concerned authorities. Further, no advertisements should be issued in the newspapers and other media including electronic media at the cost of public exchequer.

www.rajteachers.com

डोन्ट'स् (Don'ts)

- सत्ताधारी दल/सरकार से संबंधित उपलब्धियों का कोई तथा सभी विज्ञापन सरकारी खर्चे पर प्रतिबंधित हैं।
- कोई भी मंत्री मतदान केन्द या गणना स्थल पर प्रवेश नहीं करेगें यदि वे उम्मीदवार
  या मतदान के लिए मतदाता नहीं हो तो।
- राजकीय कार्य को अभियान/चुनावी कार्य से सम्मिलित नहीं करना चाहिए।
- मतदाता को वित्तीय या अन्य किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं दिया जाना चाहिए।
- मूलवंश/जाति/सम्प्रदाय/धार्मिक/भाषायी भावनाओं के आधार पर मतदाताओं को अपील नहीं की जायेगी। (धारा 125, आ.पी. एक्ट –1951)
- विभिन्न जातियों, संप्रदायों या धार्मिक या भाषायी समूहों के बीच आपसी घृणा/द्वेष/भेद को बढ़ाने या खींचतान कारित करने वाली गतिविधियां नहीं की जायेगी।

डोन्ट’स् (Don’ts)

- दूसरी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं की सार्वजनिक गतिविधियों से भिन्न उनके निजी जीवन के पहलुओं की आलोचना करने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- कार्यवाहियां जो कानून के अनुसार भ्रष्ट आचरण या निर्वाचन अपराध की है (जैसे रिश्वत, असम्यक असर, अवैध मीटिंग आदि) प्रतिबंधित है।
- किसी के मत विचार या कार्यवाहियों के विरूद्ध विरोध प्रदर्शित करने हेतु किसी के निजी आवास के सामने प्रदर्शन/हड़ताल या धरना नहीं किया जायेगा।
- दूसरी पार्टी या उनके कार्यकत्ताओं की अप्रमाणित आरोपों या तोड़ मरोड़ कर बनाये गये तथ्यों के आधार पर आलोचना नहीं की जायेगी।
- चुनाव अभियान के समय मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरूद्वारा या अन्य पूजा स्थल को चुनाव प्रसार, भाषण, पोस्टर, संगीत आदि के लिए काम में नहीं लिया जायेगा।

डोन्ट’स् (Don’ts)

- स्थानीय कानून के अध्यधीन कोई भी किसी की निजी भूमि भवन चार दिवारी, वाहन आदि को झण्डे लगाने, बैनर बांधने, नोटिस चिपकाने या नारा लेखन हेतु उसकी विशिष्ट एवं लिखित अनुमति के बिना काम में नहीं लेगा।
- दूसरी राज. पार्टियों/उम्मीदवारों द्वारा आयोजित सार्व. सभाओं या जुलुसों में कोई बाधा नहीं पहुचाई जायेगी। (धारा –127, आर.पी. एक्ट–1951)
- जिस स्थान पर दूसरी पार्टी की मीटिंग रखी हुई है, उस स्थान से जुलुस नहीं निकाला जायेगा।

डोन्ट’स् (Don’ts)

- जुलुस निकालने वाले व्यक्ति ऐसी कोई वस्तु लेकर नहीं चलेंगे जिनका हथियार/मिसाइल के रूप में प्रयोग हो सके।
- दूसरी पार्टीज या उम्मीदवारों द्वारा लगाये गये पोस्टरस् को गंदा नहीं किया जायेगा या हटाया नहीं जायेगा।
- मतदान के दिन मतदाता स्लिप वितरण करने वाले स्थल या पोलिंग स्टेशन के 200 मीटर की परिधि में पोस्टर, फ्लेग्स्, प्रतीक चिन्ह् या टैण्ट/शामियाना तथा अन्य प्रचार सामग्री लगाई/प्रदर्शित नहीं की जायेगी।

डोन्ट'स् (Don'ts)

- संबंधित सक्षम अधिकारी की पूर्व लिखित अनुमति के बिना तथा प्रातः 6.00 बजे से पूर्व एवं रात्रि 10.00 बजे बाद लाउडस्पीकर का प्रयोग, चाहे स्थिर हो या वाहन पर लगा हुआ हो, नहीं किया जायेगा।
- जिस व्यक्ति के सुरक्षा धमकी देने पर आधिकारिक सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है या जिसका निजी सुरक्षा गार्ड है, को निर्वाचन एजेन्ट/मतदान/गणना एजेन्ट के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा।
- निर्वाचन के दौरान शराब या किसी प्रकार की रिश्वत का वितरण प्रतिबंधित है।

डोन्ट’स् (Don’ts)

- मतदान दिवस को कोई भी व्यक्ति जिसे सिक्युरिटी धमकी दी गई है जिस कारण उसे आधिकारिक सुरक्षा दी गई है, वह अपने सुरक्षा कार्मिक के साथ मतदान केन्द्र के समीप परिसर में (100 मीटर के भीतर) प्रवेश नहीं करेगा।
- राजकीय सुरक्षा प्राप्त व्यक्ति यदि एक मतदाता है तो वह सुरक्षा कार्मिक के बिना मतदान कक्ष में वोट डालने हेतु जायेगा।

3. **Suppose work order has been issued in respect of a scheme or a programme. Can it be started after announcement of election programme?**

Ans. Work shall not be started in respect of which work order has been issued before announcement of election but the work has actually not started in the field. If a work has actually started in the field that can be continued.

राजकीय वाहनों के उपयोग के लिए आदर्श आचार संहिता

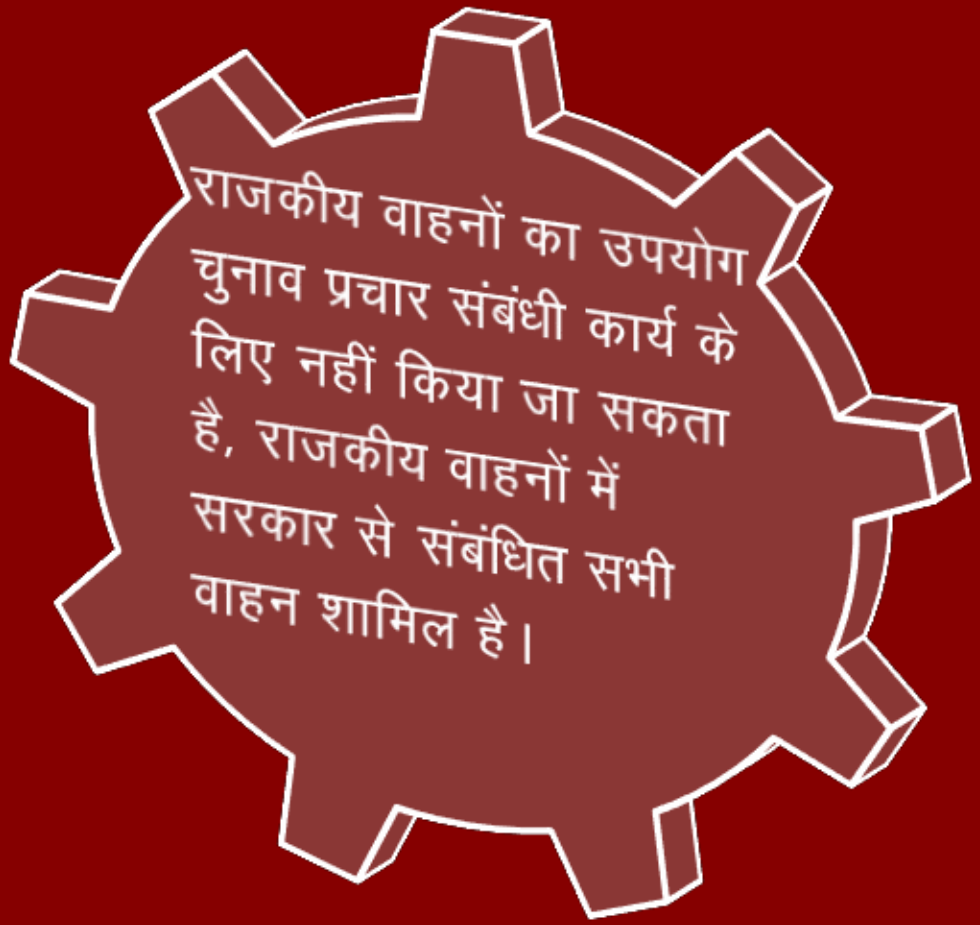

- सुरक्षा कवर प्राप्त व्यक्तियों के मामले में, जहां सुरक्षा एजेन्सियों ने ऐसा करना निर्धारित किया है ऐसे विशिष्ट व्यक्ति को राज्य सरकार की ओर से एक बुलेट प्रुफ वाहन की अनुमति दी जायेगी।
- जब तक सुरक्षा एजेन्सियों ने निर्धारित नहीं किया हो, बहुत सी कारों के उपयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- ऐसे बुलेट प्रुफ वाहनों के संचालन का व्यय ऐसे विशिष्ट व्यक्ति या उसकी पार्टी द्वारा वहन किया जायेगा, चाहे वह पद पर हो, या बाहर हो, चाहे वह उम्मीदवार हो या नहीं।
- गृह मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के तहत "जैड प्लस" सुरक्षा कवर के व्यक्तियों को राज्य स्वामित्व के एक बुलेट प्रुफ वाहन के उपयोग की अनुमति है। (निर्वा. आयोग पत्र सं. 1/37/6/2007/ PLN III dt 24-10-2007)

- पायलट, एस्कोर्ट आदि के साथ कारकेड में चल रहे वाहनों की लगातार संख्या सुरक्षा एजेन्सियों द्वारा निर्धारित किये निर्देशों के तहत ही होगी तथा किसी भी स्थिति में सुरक्षा संबंधी वाहनों को छोड़कर 10 से ज्यादा संख्या नहींहोगी।
- ऐसे सभी मामलों में जहां एक पार्टी या उम्मीदवार प्राइवेट एयर क्राफ्ट/हेलीकॉप्टर किसी कारण के लिए किराये पर लेते है , बिना अपवाद के उसकी सारी कॉस्ट चुनाव खर्चे के भाग के रूप में शामिल की जायेगी।
- सुरक्षा बिन्दु को शामिल कर किसी ने भी लाउडस्पीकर चाहे वाहन पर लगा रखा हो या दूसरे रूप में उसका उपयोग कर रहा हो, कोई छूट नहीं दी जायेगी।

(निर्वा. आयोग पत्र सं. 437/6/INST/2010 dt 05-10-2010)

www.rajteachers.com

- कानून एवं प्रचलित नियम के तहत सभी निर्धारित /अनुसूचित उड़ानों से भिन्न उड़ानों
  का उचित ऑथोरिटी द्वारा पूर्ण लेखा जोखा संधारित किया जाता है।

(निर्वा. आयोग पत्र सं. 437/6/98 PLN III dt 18.08.1999)

- राज्य विधानसभा आम चुनाव के समय चुनाव अभियान, प्रचार–प्रसार एवं निर्वाचन संबंधी
  यात्राओं में राजकीय वाहनों के उपयोग का प्रतिबंधविधानसभा स्पीकर तथा डिप्टी स्पीकर के मामलों में समान रूप से लागू होगा।

(निर्वा. आयोग पत्र सं. 04/2001/ J.S.II dt 30-03-2001)

- सभी राजनीतिक वी.आई.पी./पदाधिकारी चाहे प्राइवेट या राजकीय यात्रा पर जायें, उन्हें पायलट कार, किसी भी रंग की बत्ती लगी कार, किसी भी प्रकार की सायरन लगी कार का उपयोग नहीं करना चाहिए।
- प्रतिबंध लागू होगा चाहे राज्य सरकार ने उन्हें सुरक्षा कवर स्वीकृत किया हो, चाहे
  वाहन सरकारी हो या प्राइवेट हो।

- नामनिर्देशन पत्र दाखिल करते समय आर.ओ. /ए.आर.ओ. कार्यालय 100 मीटर की परिधि में केवल 3 वाहनों की अनुमति दी जायेगी।
- चुनाव प्रचार के दौरान चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के साथ वाहनों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों पर अवैध गतिविधियां रोकने के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा कड़ी निगाह रखी जायेगी।
- राजनीतिक दलों को चुनाव प्रचार के लिए वीडियो वैन की अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा दी जायेगी।
- साइकिल रिक्शा भी एक वाहन है, उम्मीदवार को इसका खर्चा भी चुनाव व्यय में शामिल करना चाहिए, जब इसे अभियान में काम में लिया जाता है।

(निर्वा. आयोग पत्र सं. 437/6/2006/PLN III dt 23-11-2007)

–लगातार–

- ग्रुप के साथ चलने वाले वाहनों की संख्या सुरक्षा वाहनों को छोड़कर दस से अधिक नहीं होगी। (निर्वा. आयोग पत्र सं. 437 / 6 / INST/2010 dt 05-10-2010)
- किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव अधिसूचना की तिथि से चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिला प्रशासन निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों, उनके साथ रहने वाले व्यक्तियों तथा दूसरी पार्टी नेताओं द्वारा उपयोग में लिये जा रहे वाहनों पर कड़ी नजर रहेगी तथा सुनिश्चित करेगा कि आयोग के निर्देशों का दुरूपयोग न हो।
- यदि उपरोक्त बताई गई संख्या से अधिक वाहन ग्रुप में चलते हैं तो ऐसे ग्रुप को तोड़ने के बावजूद स्थानीय प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि चुनाव सम्पन्न होने तक ऐसे वाहनों का उपयोग में लेने हेतु अनुमति नहीं दी जाये।

–लगातार–

- चुनाव अभियान प्रारम्भ होने से पूर्व निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों को अभियान में उपयोग में लिए जा रहे सभी वाहनों की सूचना जिला निर्वा. अधि. या उनके द्वारा अधिकृत ऐसे अधिकारी को देने हेतु कहा जायेगा।
- अतिरिक्त वाहनों को तभी शामिल किया जायेगा, जब उम्मीदवारों/उसके एजेण्ट ने उस वाहन को शामिल करने से पूर्व सूचना दे दी हो।
- वाहनों की सूचना देते समय चुनाव अभियान में लगाये जा रहे वाहनों की क्षेत्रवार/तहसीलवार जहां वाहन चलाये जाने हैं, सूचना भी दी जानी चाहिए।
- उक्तानुसार प्राप्त सूचना डी.ई.ओ. द्वारा चुनाव व्यय ऑब्जर्वरस् को दी जानी चाहिए।
- अभ्यर्थी/उसके चुनाव एजप्टे द्वारा चुनाव अभियान में लगाये गये वाहनों को जिला प्रशासन द्वारा अधिगह्न ण नहीं किया जाना चाहिए।

- कोई वाहन जो चुनाव अभियान कार्य के लिए जिला प्रशासन में पंजीकृत नहीं है तथा चुनाव प्रचार में पाया जाता है वह उस उम्मीदवार के लिए अनाधिकृत प्रचार करने वाला माना जायेगा तथा भा.दं.सं. के अध्याय IX A के प्रावधानों के तहत दंडनीय होगा, उसे तुरंत चुनाव अभियान कार्य से बाहर किया जायेगा।

(निर्वा. आयोग पत्र सं. 437/6/97/PLN III dt 18-03-1997)

- राज. दल का कोई भी नेता द्वारा निजी एयर क्राफ्ट तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग मतदान एवं गणना दिवसों को मतदान एवं गणना प्रक्रिया की मॉनीटरिंग एवं पर्यवेक्षण के उद्देश्यार्थ नहीं किया जायेगा।

(निर्वा. आयोग पत्र सं. 04/2001/JS II, dt 08-05-2001)

- मंत्रीगण राजकीय वाहनों का उपयोग अपने राजकीय उपयोग में लेने हेतु अधिकृत हैं बशर्ते कि उक्त आने जाने को चुनाव प्रसार या राजनीतिक कार्यवाही के लिए सम्मिलित नहीं करें।

- मंत्री चाहे संघ के हों या राज्य के हो, अपनी राजकीय यात्राओं को चुनाव कार्यों के साथ सम्मिलित नहीं करें।
- मतदाताओं को मतदान दिवस पर मुक्त लाने/ले जाने के लिए वाहन किराये पर लेना/क्रय करना/उपयोग में लेना भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है।
- सम्पूर्ण सभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए प्रत्येक निर्वाचन अभ्यर्थी एक वाहन स्वयं के उपयोग हेतु, निर्वाचन एजेण्ट के लिए एक तथा अपनी पार्टी/कार्यकर्त्ताओं के उपयोग के लिए एक वाहन के लिए अधिकृत है।
- उपरोक्त वर्णित वाहनों की अनुमति जिसमें आर.ओ. द्वारा जारी की जायेगी जिसे
  वाहनों पर चस्पा की जानी चाहिए।
- बिना अनुमति के कोई भी वाहन उपयोग में नहीं लिया जायेगा।

- अभ्यर्थियों/कार्यकर्ताओं/दलों के लिए चौपहिया से ज्यादा वाले वाहनों की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- किसी गाड़ी में ड्राइवर सहित 5 व्यक्तियों से ज्यादा बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- उपरोक्त निर्देश दोपहिया वाहनों पर भी लागू होंगें परन्तु चुनाव से भिन्न वास्तविक एवं मूल उपयोग के लिए प्रतिबन्ध नहीं है।
- यदि संघीय/राज्य मंत्री किसी आपात स्थिति में विशुद्ध रूप से राजकीय यात्रा पर जा रहा है जिसे सार्व. हित में टाली न जा सके, तब उस विभाग का सचिव इस तथ्य को प्रमाणित कर राज्य के मुख्य सचिव को भेजेगा, जहां मंत्री को यात्रा करनी है, प्रति आयोग को देगा।
- आपात स्थिति में यात्रा के दौरान, मुख्य सचिव मंत्री को राजकीय वाहन, आवास, अन्य
  आवश्यक व्यवस्था मुहैया करा सकेंगे।
- फिर भी ऐसी राजकीय यात्रा से पूर्व, दौरान या उसके निरंतर में कोई मंत्री चुनाव अभियान या राजनीतिक गतिविधि संबंधी कार्य नहीं कर सकते हैं।

- निम्नलिखित की घोषणा प्रतिषिद्ध है –
  (1) नई परियोजनाएं (2) नया प्रोग्राम
  (3) रियायतें (4) किसी भी प्रकार में वित्तीय अनुदान
  (5) मतदाताओं को प्रभावित करने वाले वादे।
- किसी नीति, वित्तीय कदम, कराधान संबंधी मामलों में सहायता/लाभ की घोषणा हेतु आयोग का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।
- नई योजनाओं एवं चालू योजनाओं पर भी उक्त प्रतिबंध समान रूप से लागू होंगे।
- रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय नीति मामलों में अनवरत रूप से निर्णय ले सकता है।

- सरकार द्वारा चलाये जा रहे निम्न कार्य चालू रह सकते हैं –
  (1) आवश्यक स्वीकृतियों के पश्चात् मौके पर वस्तुतः प्रारंभ हुई परियोजना।
  (2) नरेगा में पंजीकृत लाभार्थियों को रोजगार (पूर्व स्वीकृत कार्यों पर)।
  (3) पूर्ण कार्य/कार्य के किसी भाग के लिए फण्ड रिलीज करना।
- प्राकृतिक आपदा से पीड़ित व्यक्तियों को असहाय/अनुग्रह सहायता देना।
- प्रधानमंत्री./मुख्यमंत्री सहायता कोष से हॉस्पिटलस् को सीधा भुगतान करना अनुमत है।

- आयोग को सूचित करते हुए आपातकालीन सहायता कार्य प्रारम्भ किया जा सकता है।
- प्राकृतिक आपदा के प्रभाव को कम करने हेतु बचाव संबंधी नये कार्य आयोग की पूर्व अनुमति से ही शुरू किये जा सकते हैं।
- पी.एम./सी.एम. फंड से व्यक्तियों के समुह को कोई चुनिंदा सहायता देने से पूर्व आयोग की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
- निम्न गतिविधियों के लिए भी आयोग की पूर्व अनुमति आवश्यक है–

  (1) स्वविवेक फंड से नया कार्य (2) सार्व. उपक्रमों के पुनरोद्धार का प्रस्ताव (3) चालू प्रोजेक्ट/कार्यक्रम/योजना के कार्य का क्षेत्र विस्तार (4) किसी व्यक्ति या संगठन को भूमि आवंटन (5) एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर करना।

–लगातार–

- यू.पी.एस.सी./आर.पी.एस.सी. या एस.एस.सी. या अन्य संवैधानिक ऑथोरिटी के माध्यम से रेग्यूलर भर्ती/नियुक्ति/पदोन्नति चालू रह सकती है।
- कोई कार्य (मय सहायता कार्य) प्रारम्भ करते समय राजनीतिक पदाधिकारीगण को शामिल करते हुए औपचारिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जायेगा। (निर्वा. आयोग पत्र सं.437/6/2009 Dt. 05.03.2009)
- राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य उपयोगी योजनाएं जो पूर्ण होने की स्टेज पर लाई जा चुकी है। सार्व. हित में उनके उपयोगिता एवं कार्य पूर्ण होने की स्थिति को देखते हुए उन्हें रोकना नहीं चाहिए। देरी नहीं की जानी चाहिए।
- ऐसी योजनाओं को सिविल अधिकारीगण द्वारा चालू किया जाता है जिसमें राजनीतिक पदाधिकारीगण उपस्थिति नहीं होगें, न कोई उत्सव कार्यक्रम होगा।

- सरकारी योजनाओं की कोई नई स्वीकृति जारी नहीं होगी।
- राजनीतिक पदाधिकारी/मंत्रीगण द्वारा योजनाओं की समीक्षा नहीं की जावेगी।
- कल्याणकारी योजनाओं पर नया फण्ड रिलीज नहीं होगा।
- कार्यों के नये ठेके नहीं दिये जायेंगे।
- एम.सी.सी. प्रभावी होने से पूर्व कार्यादेश जारी होने के बाद यदि मौके पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है तो वह कार्य प्रारम्भ नहीं किया जायेगा। ऐसे कार्य चुनाव प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद प्रारम्भ हो सकते हैं।
- पूर्ण कार्यों के पेटे संबंधित अधिकारीगण की पूर्ण संतुष्टि के अध्यधीन भुगतान रिलीज करने पर प्रतिबंध नहीं है।

(निर्वाचन आयोग पत्र 437/6/2009/दिनांक 05.03.2009)

- आयोग निम्न योजनाओं को व्यवहृत करने में इन्कार नहीं करता है:–
  (1) आपातकालीन स्थिति
  (2) आकस्मिक आपदा
  (3) वृद्धों, असहायों/अक्षम व्यक्तियों के कल्याण के लिए कदम उठाना –
- फिर भी उक्त मामलों में आयोग से पूर्व अनुमति ली जानी चाहिए।
- सरकार द्वारा पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए लोक लुभावने कार्य–कल्याणकारी कार्य, सहायता, पुनर्वास संबंधी कार्य सामान्य तौर पर नहीं किये जायेगें। सभी महत्व दर्शाने वाले कार्य पूणतर्य। बंद होगें ताकि दूसरे दलों की विवरणिकाओं पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़े।

- **मंत्रीगण तथा अन्य ऑथोरिटी चुनाव के पूर्व दिन अपने स्वविवेक फण्ड के अनुसार भुगतान स्वीकृत नहीं कर सकते हैं।**

(निर्वा. आयोग पत्र सं. 576/17/84 दिनांक 09.11.1984)

- **एम.सी.सी. के दौरान संस्थाओं को ऋण माफ करने तथा ऋण देने में वित्तीय सीमा बढ़ाने संबंधी कार्यवाहीं नहीं करनी चाहिए।**

(निर्वा. आयोग पत्र सं. 437/6/2002 दिनांक 25.01.2002)

- **किसी सरकार/सिविल एजेन्सी द्वारा चुनाव प्रक्रिया के दौरान मकान/भवन नष्ट करने/किसी के बेदखल करने संबंधी अभियान नहीं चलाया जा सकता हैं।**

(निर्वा. आयोग पत्र सं. 437/6/3/2004 दिनांक 19.02.2004)

- **यदि किसी न्यायालय के आदेश से ऐसी क्षति/नष्टीकरण किया जाना है तब प्रकरण की जानकारी आयोग को पहले दी जाये।** (पूर्व वर्णित आदेश दिनांक–19.02.2004)

- सरकारी खर्चे पर चुनाव अवधि के दौरान समाचार पत्रों तथा मीड़िया को कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है।

(निर्वाचित आयोग पत्र सं. 437/6/INST/2008)

- राज्य/निर्वाचन क्षेत्र से एम.सी.सी. के दौरान आने–जाने हेतु किसी प्रकार के यात्रा पास जारी नहीं किये जायेगें या अनुमति नहीं दी जायेगी। (निर्वाचन आयोग पत्र सं. 437/6/93 दिनांक 31.12.1993)
- सरकारी एजेन्सी द्वारा की जाने वाली बड़ी निलामी, ठेका देना (तेंदू पत्तियां आदि) आदि पर प्रतिबंध रहेगा।

(निवार्चन आयोग पत्र सं. 437/6/2009 दिनांक 24.03.2009)

- राज्य सरकार के खर्चे पर लगाये गये सभी हॉर्डिंग्स, विज्ञापन आदि तुरन्त हटाये जायेंगे।
- सरकारी खर्चे पर चुनाव अवधि के दौरान समाचार पत्रों तथा मीड़िया को कोई विज्ञापन जारी नहीं किया जा सकता है।

(निर्वाचन आयोग पत्र सं. 437/6/INST/2008)

निर्वाचन संबंधी मुख्य कानूनी प्रावधान

- (अ) भारतीय संविधान में वर्णित निर्वाचन संबंधी प्रावधान–

  अनुच्छेद–324 से 329

- (ब) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में वर्णित–भृष्ट आचरण एवं निर्वाचन अपराध संबंधी प्रावधान– धारा–123,125 से 136 तक

  (अध्याय 1 एवं 3)

- (स) भारतीय दंड संहिता में निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में प्रावधान – धारा (क) 153 क,कक,ख, 171(क) से 171(झ) तथा 505 (2) एवं (3)–

  अध्याय–9(क)

भारतीय संविधान में वर्णित निर्वाचन संबंधी प्रावधान

- अनुच्छेद–324–निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण का निर्वाचन आयोग में निहित होना।
- अनुच्छेद–325–धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी का निवार्च न नामावली में सम्मिलित किये जाने के लिए अपात्र नहीं होना तथा उसके द्वारा किसी विशेष निर्वाचन नामावली में सम्मिलित किये जाने का दावा न किया जाना।
- अनुच्छेद–326–लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का वयस्क मताधिकार के आधार पर होना। आयु–18 वर्ष। (61 वां संविधान संशोधन वर्ष 1989)

–लगातार–

- अनुच्छेद–327 संसद/विधान मंडलों के लिए निर्वाचन से संबंधित उपबंध करने की शक्ति संसद में निहित है–निर्वाचन नामावली, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन, सदन या सदनों का गठन आदि।
- अनुच्छेद–328 किसी राज्य के विधान मंडल के लिए निर्वाचनों के संबंध में उपलब्ध करने की उस विधान मंडल की शक्ति होगी–जहां तक संसद उपबंध नहीं करती है वहां तक राज्य विधानमंडल उपबंध करती है।
- अनुच्छेद–329 निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन होगा– अनुच्छेद–327, 328 के अधीन विविध–निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन, या ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों को स्थानों में आवंटन से संबंधित मामले।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम–1951 की धारा 123 में वर्णित भ्रष्ट आचरणः–

- (1) रिश्वत– अभ्यर्थी/एजेन्ट द्वारा अन्य व्यक्ति को।
- (2) असम्यक असर– अभ्यर्थी/एजेन्सी किसी अन्य व्यक्ति के निर्वाचन अधिकार में हस्तक्षेप या प्रयास।
- (3) किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर किसी व्यक्ति के लिए मत देने या रोकने की अभ्यर्थी /एजेण्ट द्वारा अपील करना।
- (4) किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण बाबत। अभ्यर्थिता वापस लेने बाबत किसी मिथ्या तथ्यों का प्रकाशन करना।
- (5) अभ्यर्थी /एजेण्ट द्वारा मतदान के लिए किसी निर्वाचन के लिए वाहन किराये पर लेना। (निर्वाचक स्वयं की गाड़ी किराये कर के ला सकते हैं)
- (6) धारा 77 के उल्लंघन में व्यय उपगत करना या प्राधिकृत करना/ निर्धारित सीमा से अधिक व्यय)
- (7) सरकारी नौकरों की विशिष्ट एजेन्सियों से सहायता प्राप्त करना (राजपत्रित अधिकारी, मजिस्ट्रेट, शस्त्र पुलिस बल के सदस्य, राजस्व ऑफिसर आदि।
- (8) अभ्यर्थी /एजेण्ट द्वारा बूथ कैपचरिंग।

www.rajteachers.com

निर्वाचन अपराध

- धारा–125 निर्वाचन के संबंध में वर्गों के बीच धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा के आधार पर शत्रुता/घृणा की भावना पैदा करना।
  दण्ड–3 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों।

- धारा–125(क)–नामनिर्देशन पत्र के साथ मिथ्या शपथ फाइल करना या सूचना छिपाना।
  दण्ड– छः माह की सजा, या जुर्माना या दोनों।

- धारा–126–मतदान तिथि से पूर्व 48 घंटों की अवधि में सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध रहेगा।
  दण्ड– दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों।

- धारा–126(क)–निर्वाचन मत सर्वेक्षण के परिणाम आदि के प्रकाशन और प्रसारण पर निर्वाचन साधारण चुनावों में मतदान तिथि को नियत समय से 24 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति के आधा घंटा बाद तक रोक।
  दण्ड–दो वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों।

www.rajteachers.com

निर्वाचन अपराध

➢धारा–127–निर्वाचन सार्वजनिक सभाओं को रोकने के उद्देश्य से उपद्रव करना या दूसरों को भड़काना।

दण्ड– 6 माह का कारावास, 2000/–रूपये का जुर्माना या दोनों।

➢धारा–127(क)– पुस्तिकाओं, पोस्टरों आदि के मुद्रण तथा प्रकाशक का नाम व पता न हो। सूचना–राजधानी में सीईओ को तथा जिले में डी एम को देनी होती है।

दण्ड–6 मास का कारावास या 2000/–रूपये तक का जुर्माना या दोनों।

➢धारा–128–प्रत्येक अधिकारी, लिपिक, एजेण्ट या अन्य व्यक्ति जो मतों का अभिलिखित करने या गणना करने से संसक्त किसी कर्तव्य का पालना करता है, मतदान की गोपनीयता बनाये रखेगा।

दण्ड–3 मास का कारावास या जुर्माना या दोनों।

www.rajteachers.com

- धारा 129 – निर्वाचन कर्तव्य में नियुक्त अधिकारी, कर्मचारी किसी उम्मीदवार के निर्वाचन की संभाव्यता के लिए निर्वाचन संचालन या प्रबंध में कोई कार्य नहीं करेगा, न मत दिये जाने को प्रभावित करेगा।
  दण्ड – 6 मास का कारावास या जुर्माना या दोनों।

- धारा 130– मतदान केन्द्रों में या उनके निकट 100 मीटर के भीतर मत संयाचना का प्रतिषेध है।
  दण्ड – 250/– रु. का जुर्माना।

- धारा 131 –मतदान केन्द्रों में या उनके निकट विच्छृंखल आचरण के लिए शास्ति –शोर शराबा, तेज ध्वनि प्रसारण, निर्वाचन ऑफिसरों या अन्य व्यक्तियों के काम में हस्तक्षेप करना।
  दण्ड – 3 मास का कारावास या जुमाना या दोनों।

- धारा 132 –मतदान केन्द्र पर अवचार के लिए शास्ति – कोई व्यक्ति मतदान के लिए नियत घंटों के दौरान स्वयं अवचार करता है या पी.ओ. के विधिपूर्ण निर्देशों की पालना नहीं करता है उसे वहां से हटाया जायेगा। पुनः प्रवेश करने पर उक्त धारा में कार्यवाही होगी।
  दण्ड – 3 मास का कारावास, या जुर्माना या दोनों।
- धारा 132(क)–मतदान करने के लिए प्रक्रिया का अनुपालन करने में असफलता – प्रक्रिया की पालना नहीं करने पर मतपत्र रदद् किया जायेगा।
- धारा 133–निर्वाचन में मतदाताओं को लाने, ले जाने के लिए भाड़े या अन्य प्रकार से वाहन प्राप्त करना या उपलब्ध कराना।
  दण्ड – 3 मास का कारावास और जुर्माना।

–लगातार–

- धारा 134 – निर्वाचन से संसक्त पदीय कर्तव्य के भंग – कोई व्यक्ति जो अपने पदीय कर्तव्य का युक्तियुक्त कारण के बिना भंग करने का दोषी होगा तो वह 500/– रु. के जुर्माने से दंडनीय होगा।
- धारा 134 (क) – सरकारी सेवक या किसी उम्मीदवार के निर्वाचन या मतदान या गणना एजेण्ट के रूप में कार्य करने पर प्रतिबंध है।
  दण्ड – 3 मास का कारावास या जुर्माना या दोनों।
- धारा 134 (ख) मतदान केन्द्र में या उसके निकट हथियार लेकर जाने का प्रतिषेध– आर.ओ./पी.ओ./पुलिस ऑफिसर आदि से भिन्न कोई व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केन्द्र के आस पास आर्म्स एक्ट 1959 में परिभाषित किसी प्रकार के हथियार लेकर नहीं जायेगा।
  दण्ड – 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोनों।

- धारा 135– मतदान केन्द्र से मतपत्रों को हटाना अपराध होगा–जो व्यक्ति निर्वाचन में मतदान केन्द्र से बाहर मतपत्र ले जायेगा या प्रयत्न करेगा, ऐसे कार्य में जानबूझकर सहायता देना, दंडनीय होगा।

  दण्ड – 1 वर्ष की सजा या 500 /– रु. का जुर्माना या दोनों।
- धारा 135 (क) पोलिंग बूथ के बलात् ग्रहण का अपराध – किसी व्यक्ति या किन्हीं व्यक्तियों द्वारा मतदान केन्द्र को कब्जे में करना, मतदान मशीन पर अपने समर्थक को ही वोट डलवाना, किसी निर्वाचक को मत देने से रोकना।

  दण्ड – व्यक्ति द्वारा करने पर – एक वर्ष से कम नहीं किन्तु 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

  किसी सरकारी सेवक द्वारा करने पर – 3 वर्ष से कम नहीं किन्तु 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना।

–लगातार–

- धारा 135 (ख) मतदान के दिन कर्मचारियों का संवैतनिक अवकाश की मंजूरी किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य संस्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को लोकसभा या राज्य की विधानसभा के लिए निर्वाचन में मतदान का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जायेगा।
  दण्ड – नियोजक पर 500/– रु. का जुर्माना।

- धारा 135 (ग)– मतदान के दिन शराब का न तो विक्रय किया जायेगा, न दी जायेगी और न वितरित की जायेगी– मतदान समाप्त होने के लिए नियत समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उस मतदान क्षेत्र के भीतर किसी होटल, दुकान, अन्य लोक स्थान में शराब का विक्रय एवं वितरण नहीं किया जायेगा।
  दण्ड – 6 मास का कारावास या 2000/– रु. का जुर्माना या दोनों।

धारा 136 – अन्य अपराध एवं शास्तियां

- निर्वाचन में कोई व्यक्ति

(क) नामनिर्देशन पत्र कपटपूर्वक विरूपित या नष्ट करेगा।
(ख) किसी मतपत्र के शासकीय चिन्ह् या लिफाफे या पहचान की घोषणा को कपटपूर्वक नष्ट करना।
(ग) मतपेटी में मत पत्र से भिन्न चीज डालना।
(घ) आ.ओ. या उसके अधीनस्थ द्वारा लगाई गई किसी सूची, सूचना या अन्य दस्तावेज को कपटपूर्वक विरूपित या नष्ट करना।
(ड़) मतपत्र या मतपेटी को बिना अधिकार के नष्ट करना, खोलना या अन्यथा उसमें हस्तक्षेप करना।

दण्डः– आर.ओ./ए.आर.ओ./पी.ओ. या निर्वाचन से संसक्त कर्तव्य पर नियोजित कार्मिक द्वारा अपराध करने पर 2 वर्ष का कारावास या जुर्माना या दोंनो। अन्य व्यक्ति द्वारा करने पर 6 मास का कारावास या जुर्माना या दोंनो।

भारतीय दण्ड संहिता–1860 में निर्वाचन संबंधी अपराधों के विषय में प्रावधान

- 153(क)1–धर्म, मूलवंश, भाषा, जन्म स्थान, निवास स्थान इत्यादि के आधारों पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता, घृणा एवं वैमनस्य की भावनाएं फैलाना तथा सौहाद्र बने रहने पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले कार्य करना, उपरोक्त आधारों पर आपराधिक बल या हिंसा का प्रयोग करना।

  दण्ड – 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।
- 153(क)2–पूजा के स्थान आदि में किया गया अपराध–उपधारा (i) के अपराध किसी पूजा स्थल या किसी जमाव में जो कर्म या पूजा में लगा है, में करने पर–

  दण्ड – 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

- धारा 153(कक)–किसी जुलुस में जानबूझकर आयुध ले जाने या किसी सामुहिक ड्रिल या प्रशिक्षण का हथियार सहित संचालन या प्रशिक्षण का हथियार संहित संचालन या आयोजन करना या उसमें भाग लेना। धारा 144 (क) के अधीन जारी की गई किसी लोक सूचना या आदेश का उल्लंघन उक्तानुसार करने पर –
  दण्ड – 6 मास की सजा और 2000/– रु. का जुर्माना।

- धारा 153(ख)(1)–राष्ट्रीय अखण्डता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन, प्राख्यान – जो कोई बोले गये या लिखे गये शब्दों या संकेत द्वारा या दृश्यरूपणों द्वारा किसी धार्मिक, मूलवंशीय, जाति समुदाय पर संविधान या भारत की अखण्डता की मर्यादा नहीं रखने का लांछन लगायेगा, प्राख्यान देगा, अपील करेगा या प्रकाशित करेगा, वह दण्डनीय है।
  दण्ड – 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों ।

- धारा 153(ख)(2) –उक्त अपराध किसी पूजा स्थल या धार्मिक कर्म में करने पर–
  दण्ड – 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना ।

- धारा 171 (ख) रिश्वत – किसी व्यक्ति को मत देने/न देने हेतु उत्प्रेरित करने के लिए इनाम/परितोष देना रिश्वत है।
- धारा 171 (ग) – निर्वाचन में असम्यक असर डालना – कोई किसी के निर्वाचन अधिकार में स्वच्छेया हस्तक्षेप करता है, किसी अभ्यर्थी या मतदाता को धमकी देता है, वह असम्यक असर डालने का अपराध करता है।
- धारा 171 (घ) निर्वाचनों में प्रतिरूपण–जो कोई किसी निर्वाचन में किसी अन्य व्यक्ति के नाम से जीवित/मृत के नाम से मत देता है ऐसे मतदान के लिए दुष्प्रेरित करता है वह निर्वाचन में प्रतिरूपण का अपराध करता है।
- धारा 171 (ड़) – रिश्वत के लिए दण्ड– 1 वर्ष का कारावास, या जुर्माना या दोनों।
- धारा 171 (च) – निर्वाचन में असम्यक असर डालने तथा प्रतिरूपण के लिए दण्ड– 1 वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना या दोनों।

➢धारा 171 (छ) निर्वाचन से संसक्त मिथ्याकथन – किसी अभ्यर्थी के वैयक्तिक शील या आचरण के संबंध में कोई मिथ्या कथन करेगा या प्रकाशित करेगा, वह जुर्माने से दण्डित किया जायेगा।

➢धारा 171 (ज) निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय – कोई किसी अभ्यर्थी के लिखित प्राधिकार के बिना कोई सार्व. सभा करने, किसी विज्ञापन, परिपत्र या प्रकाशन पर व्यय करेगा, वह 500/– रु. के जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

➢धारा 171 (झ) निर्वाचन लेखा रखने में असफलता – जो कोई किसी तत्समय प्रवृत विधि द्वारा या विधि का बल रखने नियम द्वारा अपेक्षित होते हुए निर्वाचन के संबंध में किये गये व्ययों का लेखा जोखा रखने में असफल रहेगा, वह 500/– रू. के जुर्माने से दंडित किया जायेगा।

- धारा 505–लोक रिष्टि कारक वक्तव्य (conducing to public mischief)–
- (1)(ख) कोई किसी कथन, जनश्रुति या रिपोर्ट या अफवाह का इस आशय से प्रकाशित करेगा कि ऐसा करने से जनता का कोई भाग भयभीत हो, जिससे कोई व्यक्ति राज्य के विरूद्ध या लोक शांति के विरूद्ध अपराध करने हेतु उत्प्रेरित हो या
- (1)(ग) उससे व्यक्तियों का कोई वर्ग या समुदाय किसी दूसरे वर्ग या समुदाय के विरूद्ध अपराध करने के लिए उद्धीप्त हो जाये तो उसे दंडित किया जायेगा।

दण्ड – 3 वर्ष तक का कारावास, या जुर्माना या दोनों।

- धारा 505 (2)– विभिन्न वर्गों में शत्रुता, घृणा, या वैमनस्य पैदा करने या भड़काने वाले कथन करना– कोई भी ऐसी अफवाह या संत्रासकारी, समाचार वाली रिपोर्ट को इस आशय से रचेगा या प्रकाशित करेगा जिससे विभिन्न धार्मिक, मूलवंशीय, भाषायी, जातियों एवं समुदायों के बीच शत्रुता, घृणा पैदा होने या बढने की संभावना बने़, यह कृत्य दण्डनीय होगा।

  दण्ड – 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों।

- धारा 505 (3)–उक्त वर्णित कृत्य किसी पूजा स्थल या धार्मिक पूजा/कर्म में लगे हुए लोगों के जमाव स्थल पर करेगा तो वह दंडनीय होगा।

  दण्ड – 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना।

चुनाव के संबंध में विधिक प्रावधान(कानून)

1. भारत का संविधान
2. भारतीय दण्ड संहिता
3. लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951
4. अपराधिक प्रक्रिया संहिता
5. विशेष एवं स्थानीय अधिनियम

भारतीय दण्ड संहिता
संज्ञेय अपराध

1. 171–घ निर्वाचनो में प्रतिरूपण
2. 171–एफ निर्वाचन में असमयक असर डालने या प्रतिरूपण के लिए दण्ड

गैर–संज्ञेय अपराध

1. रिश्वत 171–ख
2. रिश्वत के लिए दण्ड 171–ड
3. चुनाव में अनुचित प्रभाव 171–सी
4. निर्वाचन के सिलसिले में मिथ्या कथन 171–छ
5. निर्वाचन के सिलसिले में अवैध संदाय 171–ज
6. निर्वाचन लेखा रखने में असफलता 171–झ

दण्ड प्रक्रिया संहिता

41. जब पुलिस वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकती है।
42. नाम और पता बताने से इन्कार करने पर गिरफ्तार।
107. अन्य मामलों में शांति बनाये रखने के लिये सुरक्षा।
110. आदतन अपराधियों से अच्छे व्यवहार के लिये सुरक्षा।
116. जानकारी की सच्चाई के रूप में पूछताछ।
151. संज्ञेय अपराधों के आयोग को रोकने के लिये गिरफ्तार।
129. नागरिक बल के उपयोग से असेंबली का फैलाव।

www.rajteachers.com

शस्त्र अधिनियम,1959

शक्तियां और प्रकिया

19. अनुज्ञप्ति आदि पेश करने की मांग करने की शक्ति।
20. संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन आयुध, आदि का प्रवहण करने वाले व्यक्तियों की गिरफ्तारी।
21. कब्जा विधिपूर्ण न रहने पर आयुध आदि का निक्षेप।
22. मजिस्ट्रेट द्वारा तलाशी और अभिग्रहण।
23. आयुध आदि के लिए जलयानों, यानों आदि की तलाशी।

24. केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन अभिग्रहण और निरोध।

24(क) विक्षुब्ध क्षेत्रों में अधिसूचित आयुधों के बारे में प्रतिषेध आदि।

24(ख) विक्षुब्ध क्षेत्रों के सार्वजनिक स्थानों में या उनमें से होकर अधिसूचित आयुध लेकर चलने के बारे में प्रतिषेध आदि।

मोटर यान अधिनियम, 1988

177 अपराधों के दण्ड के लिए साधारण उपबंध।
179 आदेशों की अवज्ञा, बाधा डालना और जानकारी देने से इंकार करना।
192ए रजिस्ट्रीकरण के बिना यान का उपयोग।
194 अनुज्ञेय भार से अधिक भार वाले यान को चलाना
197 प्राधिकार के बिना यान ले जाना
200 कतिपय अपराधों का शमन
201 यातायात के मुक्त प्रवाह में अवरोध डालने के लिए शास्ति
202 वारण्ट के बिना गिरफ्तार करने की शक्ति
205 मोटर यान चलाने की आयोग्यता की उपधारणा

206 पुलिस अधिकार की दस्तावेज परिबद्ध करने की शक्ति

207 रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, परमिट, आदि के बिना उपयोग किए गए यानों के निरूद्ध की शक्ति

विशेष एवं स्थानीय अधिनियम

1 पुलिस अधिनियम
2 असामाजिक गतिविधियों को रोकने सम्बन्धी कानून
3 ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण सम्बन्धी कानून
4 आबकारी अधिनियम
5 संपति विरूपण अधिनियम
6 राजकीय संपति की क्षति को रोकने सम्बन्धी कानून

धन्यवाद